

भारत का राजपत्र The Gazette of India



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 70]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 7, 2013/पौष 17, 1934

No. 70]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 7, 2013/PAUSA 17, 1934

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2013

का.आ. 74(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 666(अ), तारीख 29 मार्च, 2012, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224/360 कि.मी. से 350/450 कि.मी. (कडापा-कुरनूल सेक्शन) तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 22 मई, 2012 को “वार्ता” और तारीख 23 मई, 2012 को “दि हिन्दू” में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्टें दे दी हैं;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के कुरनूल जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 18 के 224/360 कि.मी. से 350/450 कि.मी. (कडापा-कुरनूल सेक्शन) तक के प्रस्तावित मार्गाधिकार में अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण ।

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक/मण्डल का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूस्वामी / हितबद्ध व्यक्ति का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कर्नूल	ओराकाल्लु	कलवा	433/के2	इनाम	शुष्क	2.46	प्रबन्धक, श्री बुगगा रमेश्वरा स्वामी पागोदा
				1027/1ए	सरकारी	शुष्क	0.8	ए पी रिहायसी लडको का स्कूल
				433/जे1	सरकारी	शुष्क	0.01	पुराना रास्ता
				433/जे4	सरकारी	शुष्क	2.64	ए डबल्यु भूमि
				433/जे6	सरकारी	शुष्क	7.24	1. कासीरेडडीनारायण असहराम 2. दुर्गा 3. सुब्बी सेन 4. राधाम्मा 5. रामेश्वरी 6. फतीमाबी 7. फरुक बी 8. बुगा रामुडु 9. बी एस शकराईया 10. एस सोमाणा गोड 11. जे हयमावती 12. वी सरलाम्मा 13. डी गोकारी 14. एन रामुड 15. एन वैँकाटारामुडु 16. एन तिरुमालेश 17. एन लक्ष्मीनारायण

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								18. शेख महबुब बी 19. अबदुल रहीम 20. निर्मला ओर सुरेश 21. इश्वराम्मा 22. चाकली पुल्लाईया 23. आर महबुब 24. फरीद बासा 25. एस के मोद शाफी 26. ई नागालक्ष्मी 27. रंगाम्मा 28. बाजाराम्मा 29. टी चन्द्रशेखर 30. तिरुपथाईया 31. रोसणा 32. ए पी टुरिजम भवन 33. बस सलेटर 32. एम रामा देवी 33. रेहमन 36. जैनबी 37. रबीब बी 38. सैयद खाजा हुसैन 39. बिजली सब स्टेशन

[फा. सं. भाराराप्रा/बीओटी/11013/01/2011-एलए/नोटिफ./पीआईयू-अन्नतपुर]

माया प्रकाश, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 7th January, 2013

S.O. 74(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O.666 (E) dated the 29th March, 2012 Published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of National Highway No.18 on the stretch of land from Km. 224/360 to Km. 350/450 of NH-18 (Kadapa – Kurnool section) in Kurnool District in the state of Andhra Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Vaartha”, dated the 22nd May, 2012 and in “The Hindu”, dated the 23rd May, 2012, under sub-section (3) of section 3-A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3-D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3-D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure, falling within the proposed right of way (ROW) of National Highway No.18 on the stretch of land from Km. 224/360 to Km. 350/450 (Kadapa - Kurnool Section) in Kurnool District in the State of Andhra Pradesh.

Serial number	Name of the district	Name of the taluk / mandal	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in acres)	Name of the land owner/ Interested person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Kurnool	Orvakallu	Kalava	433/K2	Inam	Dry	2.46	Manager for the time being of Sri Bugga-rameswara Swamy Pagoda.
				1027/1A	Govt.	Dry	0.8	A.P. Residential School for Boys.
				433/J1	Govt.	Dry	0.01	Existing Road
				433/J4	Govt.	Dry	2.64	A.W.Land

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				433/J6	Govt.	Dry	7.24	1.Kasireddinayana Ashram
								2.Dargah
								3.Subbi Sen
								4.Radhamma
								5.Rameswari
								6.Fatimabi
								7.Farooq Bi
								8.Buga Ramudu
								9.B.S.Sankaraiah
								10.S.Somanna Goud
								11.J.Hymavathi
								12.V.Saralamma
								13.D.Gokari
								14.N.Ramudu
								15.N.Venkatramudu
								16.N.Tirumalesh
								17.N.Lakshminarayana
								18.Shaik Mahaboob Bi
								19.Abdul Rahim
								20.Nirmala and Suresh
								21.Eswaramma
								22.Chakali Pullaiah
								23.R.Mahaboob
								24.Farid Basha
								25.S.K.Mod.Shafi
								26.E.Nagalakshmi
								27.Rangamma
								28.Bazaramma
								29.T.Chandrasekhar
								30.Thirupathaiah
								31.Rosanna
								32.A.P.Tourism Building
								33.Bus Shelter
								34.M.Rama Devi
								35.Rehman
								36.Jainabee
								37.Rabia Bee
								38.Syed Khaja Hussain
								39.Electrical Sub Station

[F. No. NHAI/BOT/11013/01/2011-LA/Notif./PIU-ATP]

MAYA PRAKASH, Dy. Secy.

102 9713-2